

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड इटावा

क्रमांक :- 264

दिनांक :- 30/6/2023

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

होफ, राजस्थान सरकार

प्रसंग :- एफ 14 () 2019/झालावाड़ रोड/एफसीए/प्रमुवसं/6168 dated 31.05.2023 के जवाब के क्रम में।

प्रस्ताव का नाम :- CONSTRUCTION OF APPROACH ROAD TO FOOSOD MATA JI

यूजर एजेंसी का नाम :- Public Works Department, Itawa

प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र :- 0.28 Hac.

प्रस्तावित जिला एवं वनमण्डल :- Kota distt. & Kota Territorial

प्रस्ताव संख्या एवं पंजीकरण तिथि :- FP/RJ/ROAD/152647/2022 21.02.2022

क्र.सं.	विभाग द्वारा लगाये गये आक्षेप	आक्षेप का स्पष्टीकरण
1	संलग्न के.एम.एल. फाइल में वन भूमि का सीमा विवरण संलग्न नहीं किया गया है।	के.एम.एल. फाइल में वन भूमि का सीमा लगा दी गई है।
2	संलग्न डी.जी.पी.एस. मैप में गैर वन वन भूमि का खसरा संख्या 510 गैर वन भूमि में दर्शाया जाये।	संलग्न डी.जी.पी.एस. मैप में गैर वन वन भूमि का खसरा संख्या 510 गैर वन भूमि में दर्शाया दिया गया है।
3	प्रस्ताव में संलग्न किये गये वैकल्पिक मार्गों में एलायमेंट - 2 में वन भूमि 0.4920 है। आती है तो उस मार्ग के प्रस्ताव का चयन नहीं करने के कारण स्पष्ट कीजिए।	प्रस्ताव में संलग्न किये गये वैकल्पिक मार्गों में एलायमेंट - 2 में न्यूनतम वन क्षेत्र 0.683 हेक्टर आता है।
4	प्रस्तावित मार्ग में गैर वन भूमि में मकान आदि आना दृश्यमान हैं जबकि प्रस्ताव में कोई विस्थापन होना नहीं दर्शाया गया है।	प्रस्तावित मार्ग में गैर वन भूमि में मौके पर 8 से 10 मीटर चौड़ाई उपलब्ध है।
5	खसरा अनुसार रिपोर्ट में 260 नं. का खसरा वन विभाग के नाम नहीं है।	उक्त प्रस्ताव से सम्बन्धित नहीं है।
6	उप वन संरक्षक द्वारा वन भूमि का विधिक अस्तित्व एजेंस्य लिखा गया है जबकि उक्त क्षेत्र वन विभाग की स्वायत्तता में है।	श्रीमान उप वन संरक्षक से सम्बन्धित है।
7	यूजर एजेंसी उक्त ग्राम में प्राप्त वन/गैर वन भूमि को पृथक-पृथक रंग से दर्शाया जाकर आस-पास की सीमा बनायी जावे।	वन/गैर वन भूमि को पृथक-पृथक रंग से दर्शा कर एवं आस-पास की सीमा लगाकर अपलोड कर दिया गया है।
8	उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट II के बिन्दु संख्या 5 में कार्य आयोजना विवरण संलग्न नहीं किया गया है।	श्रीमान उप वन संरक्षक से सम्बन्धित है।
9	उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट II के बिन्दु संख्या 6 में वन्यजीव की उपस्थिति का विवरण संलग्न नहीं किया गया है।	श्रीमान उप वन संरक्षक से सम्बन्धित है।
10	प्रकरण में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं उससे संबंधित दस्तावेज यथा 100 वृक्षों की क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना डी.जी.पी.एस. मैप एवं जी.टी.शीट मैप, स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किये गये हैं।	श्रीमान उप वन संरक्षक से सम्बन्धित है।
11	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित वन भूमि 0.41 है। हेतु किया गया है जबकि प्रस्तावित वन भूमि 0.59 हेक्टर है।	श्रीमान उप वन संरक्षक से सम्बन्धित है।
12	वन भूमि के गजट नोटिफिकेशन की प्रति संलग्न नहीं है।	श्रीमान उप वन संरक्षक से सम्बन्धित है।
15	उप वन संरक्षक द्वारा स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में वन भूमि के प्रत्यावर्तन की अनुशंसा नहीं की गयी है।	श्रीमान उप वन संरक्षक से सम्बन्धित है।

Executive Engineer
PWD. Div. Itawa